अध्याय VII: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की रक्षा अनुदान सहायता योजना

7. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की रक्षा अनुदान सहायता योजना

स्वदेशी रूप में, अधिमानतः रक्षा के रूचि क्षेत्रों में, उपलब्ध अनुसंधान प्रतिभा को उपयोग में लाने हेतु,डी आर डी ओ में 1969 में आरभ्भ की गई अनुदान सहायता योजना का निष्पादन संतुष्टि से परे था। योजना के प्रबंधन तथा मॉनिटरिंग में अनुचित बजट निरूपण प्रक्रिया, फलीभूत होने योग्य एवं विशिष्ट अनुसंधान उद्देश्य निर्धारित किए बिना तथा प्राप्त किये जाने वाले परिमाणात्मक तथा गुणवत्तात्मक लक्ष्य को परिभाषित किए बिना परियोजना प्रदान करना, ऐसा कोई प्रमाण न होना जो कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा तथा सर्वोत्तम सम्भावित प्रस्तावों के चयन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह दर्शाता हो कि ऑनलाईन एप्लिकेशन के माध्यम से प्राप्त सभी प्रस्तावों पर विधिवत विचार तथा उनका उचित रूप से मूल्यांकन किया गया था, जैसी असाधारण कमियां थीं। डी आर डी ओ द्वारा अधिकांश मामलों में परियोजना समापन प्रतिवेदन नहीं मांगे जा रहे थे। डी आर डी ओ ने अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थाओं को योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों को ब्याज प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक रूप से बचत बैंक खाते में जमा करनें तथा व्यय न की गई शेष राशियों को उचित रूप से लेखांकित करने के लिए नहीं कहा, इस प्रकार सरकार को ऐसे लाभों की प्राप्ति से वंचित रखा गया। यद्यपि, अनुदानों की सहायता से खरीदे गए उपकरण डी आर डी ओ की संपत्ति थी, तथापि, उनके निपटान को अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों के निर्णय, जैसा भी वे लेना चाहे, पर छोड़ दिया गया।

7.1 परिचय

7.1.1 योजना

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी आर डी ओ), रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा मंत्रालय (मंत्रालय) के अधीन कार्य करता है। रक्षा मंत्रालय ने अप्रैल 1969 में एक "रक्षा अनुदान सहायता" योजना (योजना) शुरू की ताकि वैज्ञानिक महत्व, अधिमानतः रक्षा रूचि के क्षेत्रों की समस्याओं पर अनुसंधान एवं विकास कार्य हेतु आई आई टीज़ विश्वविद्यालयों,उच्चतर तकनीकी संस्थानों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, सर्विस ट्रैनिंग स्कूलों में स्वदेशी रूप से उपलब्ध अनुसंधान प्रतिभा तथा सुविधाओं का उपयोग किया जा सके। इस योजना के तहत एक अनुमोदित अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय, एक विख्यात औद्योगिक फर्म से जुड़े विभाग अथवा प्रयोगशाला से जुड़े प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को अनुदान दिए जाते हैं।

योजना के तहत डी आर डी ओ मंत्रालय से निधियां प्राप्त करता है तथा उन्हें सात एजेन्सियों/डिसिप्लिन्स/रिसर्च बोर्डों/ निदेशालय जोकि एयरोनॉटिकल डेवेलपमेंट एजेन्सी (ए डी ए)[103] बंगलोर, एयरोनॉटिक्स रिसर्च एण्ड डेवेलपमेंट बोर्ड (ए आर एण्ड डी बी), नेवल रिसर्च बोर्ड (एन आर बी), आरमामेन्ट रिसर्च बोर्ड (आर्मरेब),लाईफ साईंसेज रिसर्च बोर्ड (एल एस आर बी), डायरेक्टोरेट आफ एक्स्ट्राम्यूरल रिसर्च एण्ड इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्स (डी ई आर एण्ड आई पी आर) तथा 'अन्य'[104] हैं, को संवितरित करता है। रक्षा मंत्रालय (वित्त) द्वारा बजट डी आर डी ओ के एक

[103] ए डी ए रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग,रक्षा मंत्रालय, जिसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार है, हल्के लड़ाकू विमान (एल सी ए) के डिजाईन तथा विकास के लिए नोडल एजेन्सी है।

[104] भारथियार यूनिवर्सिटी, कोयम्बतूर नेशनल एयरोस्पेस लैबरेटरीज बंगलौर तथा डिफेंस इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड टैक्नॉलाजी (डीम्ड यूनिवर्सिटी), पूणे

निदेशालय, बजट, वित्त एवं लेखा निदेशालय (डी बी एफ ए) को आवंटित किया जाता है जो इसे रिसर्च बोर्डों (आर बीज़) एंव डी ई आर एण्ड आई पी आर में उप-आवंटित करता है, जिसे आगे अनुदान प्राप्तकर्त्ता संस्थानों को आवंटित कर दिया जाता है। इसे नीचे दिए गए फ्लों-चार्ट में दर्शाया गया है।

डी आर डी ओ की रक्षा अनुदान सहायता योजना

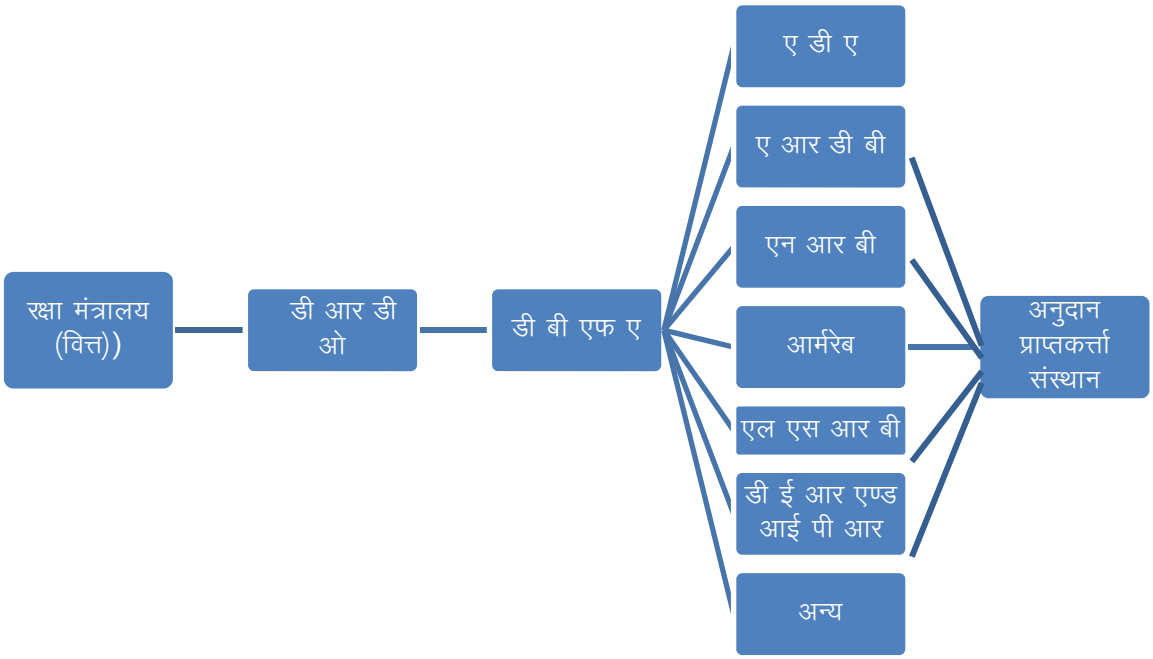

7.1.2 रिसर्च बोर्ड/ ई आर एण्ड आई पी आर निदेशालय

रक्षा मंत्रालय ने संबंधित डिसिप्लिंस के तहत विभिन्न फोकस क्षेत्रों को कवर करने के लिए चार रिसर्च बोर्डों यथा ए आर एण्ड डी बी (1971), एन आर बी (1996), आर्मरेब (1997) तथा एल एस आर बी (1998) का गठन किया तथा इन रिसर्च बोर्डों को अपने स्वयं के नियम रचित करने के लिए अनुमत किया है। चारों रिसर्च बोर्ड[105] परियोजना प्रस्तावों पर विचार करते हैं, निधियाँ प्रदान करते हैं तथा उन्हें परियोजनाओं की प्रगति को अपने नियमों तथा दिशानिर्देशों के अनुसार मॉनिटर करना होता है।

(क) भारथियार यूनिवर्सिटी तमिलनाडू सरकार द्वारा भारथियार यूनिवर्सिटी अधिनियम 1981 (1982 का अधिनियम 1) के प्रावधान के तहत फरवरी 1982 में कोयम्बतूर में स्थापित की गई थी।

(ख) सी एस आई आर -एन ए एल के जनादेश में मजबूत विज्ञान विषय के साथ अंतरिक्ष प्रोद्यौगिकियों का विकास, छोटे और मध्यम दर्जे के सिविल विमानों का विनिर्माण तथा सभी राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करना सम्मिलित है।

(ग) डिफेन्स इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड टैक्नालॉजी जिसे पूर्व में इंस्टिट्यूट ऑफ आर्मामेन्ट टैक्नालॉजी के नाम से पुकारा जाता था, शस्त्रीकरण प्रोद्यौगिकियों में विशेषज्ञता प्राप्त एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है तथा पुणे के निकट गिरिनगर में स्थित है।

[105] ए आर एण्ड डी बी के अध्यक्ष रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार (एस ए टू आर एम) होते हैं तथा इसके विभिन्न सदस्यों में रक्षा सचिव, सचिव,रक्षा उत्पादन, डी जी आर एण्ड डी (एयरोनॉटिकल सिस्टम्स) तथा प्रमुख नियंत्रक अनुसंधान एवं विकास (प्रौद्योगिकी प्रबंधन) {सी सी आर एण्ड डी (टी एम)} भी सम्मिलित हैं। जबकि अन्य तीन रिसर्च बोर्डो की अध्यक्षता एक विशिष्ट अनुसंधान वैज्ञानिक/ प्रबंधक अथवा प्रासंगिक अनुभव रखने वाला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो वर्तमान में डी आर डी ओ में न हो, करेगा तथा इनमें अपने डिसिप्लिन से संबंधित डी जी तथा सी सी आर एण्ड डी सम्मिलित होगें।

डी ई आर एण्ड आई पी आर[106] का सृजन मई 2000 में हुआ था तथा इसका उत्तरदायित्व भावी विकास के दृष्टिगत डी आर डी ओ के सीमा क्षेत्रों के बाहर संस्थानों के माध्यम से वैश्विक परिवेश मे वर्तमान अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के साथ तालमेल रखते हुए, सामान्यतः राष्ट्र के लिए तथा विशेषतः रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिए अकादमिक/अनुसंधान संस्थानों में प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों में मौलिक तथा व्यवहारिक अनुसंधान के माध्यम से प्रौद्योगिकी का विकास करना है।

7.1.3 आर बीज़ / डी ई आर एण्ड आई पी आर द्वारा संस्वीकृत परियोजनाएं

रिसर्च बोर्डों तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर द्वारा 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान संस्वीकृत की गई परियोजनाओं का मौद्रिक मूल्य के साथ ब्यौरा नीचे तालिका-14 में दिया गया है:

तालिका 14: 2008-09 से 2012-13 के दौरान संस्वीकृत की गईं परियोजनाओं का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

आर बी/निदेशालय का नाम	कुल परियोजनाएं	कुल संस्वीकृत मूल्य	₹ 20 लाख से कम की परियोजनाओं की संख्या	मूल्य	₹ 20-40 लाख के मध्य की परियोजनाओं की संख्या	मूल्य	₹ 40 लाख से ऊपर की परियोजनाओं की संख्या	मूल्य
ए आर एण्ड डी बी	235	59.32	171	22.30	40	10.97	24	26.05
एन आर बी	155	49.04	37	5.27	78	22.20	40	21.58
आर्मरेब	58	13.88	34	4.06	20	5.34	4	4.48
एल एस आर बी	107	25.58	43	6.09	53	14.14	11	5.35
डी ई आर एण्ड आई पी आर	420	260.85	223	28.68	115	33.64	82	198.52
कुल योग	975	408.67	508	66.40	306	86.29	161	255.98

(स्रोतः डी आर डी ओ द्वारा प्रेषित ब्यौरा)

7.1.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

डी आर डी ओ मुख्यालय,नई दिल्ली में 2008-09 से 2012-13 की अवधि की रक्षा अनुदान सहायता परियोजनाओं की लेखापरीक्षा निम्नलिखित आश्वासन प्राप्त करने की दृष्टि से की गई थी:

- रिसर्च बोर्डों द्वारा संस्थानों को परियोजना सौपने के लिए, जिसमें प्रधान अन्वेषकों (पी आईज़) का चयन सम्मिलित था,उचित क्रियाविधि,जो कि सरकारी आदेशों में निर्धारित रूपरेखा के अनुसार हो, अपनायी जा रही है;

- वहाँ सामान्य वित्तीय नियम तथा योजना के प्रबंधन के लिए बनाए गए आंतरिक विनियमों के अनुरूप एक मजबूत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली मौजूद थी;

- परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा में वांछित परिणाम प्राप्त करती हैं;

[106] अकादमिक संस्थानों और अनुसंधान केन्द्रों में एक्स्ट्राम्यूरल रिसर्च के वित्तीयन के लिए अनुदान सहायता योजना डी आर डी ओ के आरम्भ होने के पहले शुरू हो गई थी । 1 जनवरी 1958 को डी आर डी ओ का सृजन होने पर एक्स्ट्राम्यूरल रिसर्च (ई आर) क्रिया कलापों का निष्पादन समकालीन डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैनिंग एण्ड स्पोंसर्ड रिसर्च (डी टी एस आर) के तत्वावधान के अन्तर्गत आरम्भ हो गया था। विभिन्न डी आर डी ओ परियोजनाओं के प्रति ई आर के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के अंतिम परिणाम पर आई पी आर की प्रासंगिकता के कारण 1 मई 2000 को एक अलग ई आर एण्ड आई पी आर निदेशालय का सृजन किया गया।

- परियोजनाओं की प्रगति को रिसर्च बोर्डों द्वारा गठित विशेषज्ञ पैनलों द्वारा उचित रूप से मॉनिटर किया जा रहा है।

7.1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

इस लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में डी आर डी ओ की रक्षा अनुदान सहायता योजना के अन्तर्गत आने वाली सात एजेन्सियों/डिसिप्लिंस/रिसर्च बोर्ड/निदेशालय में से डी आर डी ओ के चार रिसर्च बोर्ड यथा ए आर एण्ड डी बी, एन आर बी, आर्मरेब तथा एल एस आर बी तथा एक निदेशालय यथा डी ई आर एण्ड आई पी आर सम्मिलित किए गए थे। 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान आर बीज़/डी ई आर एण्ड आई पी आर द्वारा संस्वीकृत अनुदान सहायता परियोजनाओं के डेटा का विश्लेषण किया गया तथा लेखापरीक्षा द्वारा 299[107] परियोजनाओं, जिसमें 186 संपन्न हुई परियोजनाएं[108] शामिल हैं, की जाँच की गई ।

7.1.6 लेखापरीक्षा पद्धति

रक्षा अनुदान सहायता की लेखापरीक्षा डी आर डी ओ मुख्यालय में दिनांक 06 अगस्त 2013 को प्रमुख नियंत्रक अनुसंधान एवं विकास (संसाधन एवं प्रबंधन){ सी सी आर एण्ड डी (आर एम)} के साथ एक एंट्री कान्फ्रेंस के साथ आरम्भ हुई। 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों/ संस्थानों/संगठनों को दी गई रक्षा अनुदान सहायता परियोजनाओं से संबंधित डेटा का विश्लेषण किया गया। इस लेखापरीक्षा पैरा को अन्तिम रूप देते समय लेखापरीक्षा के दौरान जारी की गईं लेखापरीक्षा टिप्पणियों के प्रति उत्तर पर विचार किया गया। ड्राफ्ट पैरा जुलाई 2014 में रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार को जारी किया गया। एग्जिट कान्फ्रेंस सी सी आर एण्ड डी (आर एम) तथा सी सी आर एण्ड डी (प्रौद्योगिकी प्रबंधन) के साथ 25 सितम्बर 2014 को हुई जिसमें महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई।

7.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

7.2.1 रक्षा अनुदान सहायता संचालक नियम

रक्षा अनुदान सहायता योजना भारत सरकार,वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य वित्तीय नियम, 2005 (जी एफ आर) के द्वारा संचालित होती है। रक्षा अनुदान सहायता योजना के नियम रक्षा मंत्रालय द्वारा अप्रैल 1969 में जारी किए गए थे। इन नियमों के अलावा रिसर्च बोर्डों ने भी अपने सृजन से संबंधित मंत्रालय की संस्वीकृति के निहितार्थ रक्षा अनुदान सहायता योजना के लिए नियम बनाए। लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रत्येक रिसर्च बोर्ड ने अपने नियमों का एक अलग सेट बनाया था जिनको मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नहीं कराया गया था तथा ये नियम जैसा कि **परिशिष्ट-VI** में दर्शाया गया है, ऊपरी प्रभारों, संस्वीकृति के पश्चात् परियोजना के आरंभ किए जाने की तिथि, परियोजना समापन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समय सारिणी, प्राप्त परियोजना प्रस्ताव का डेटाबेस, विशेषज्ञ पैनलों, इत्यादि विषयों पर भिन्न थे।

डी ई आर एण्ड आई पी आर रक्षा अनुदान सहायता के उन नियमों का अनुसरण कर रहा था जो मंत्रालय द्वारा अप्रैल 1969 में निर्धारित किए गए थे, तथा 31 मार्च 1999 तक समय-समय पर जारी

---

[107] ₹ 40 लाख से ऊपर की सभी परियोजनाओं, ₹ 20 लाख से **₹ 40 लाख** के बीच की लागत की संपन्न हुई परियोजनाओं के 25 प्रतिशत को तथा ₹ 20 लाख से नीचे की लागत की संपन्न हुई परियोजनाओं के 10 प्रतिशत को लेखापरीक्षा हेतु नमूने में शामिल किया गया था। समग्र कवरेज में ₹338.62 करोड़ के संस्वीकृत मूल्य की 299 परियोजनाएं सम्मिलित थी, जिसमें से, ₹109.24 करोड़ के संस्वीकृत मूल्य के साथ,186 संपन्न परियोजनाएं थीं।

[108] लेखापरीक्षा ने उन संपन्न परियोजनाओं को कवर किया है जिनकी पी डी सी समाप्त हो चुकी है।

किए गए शुद्धिपत्रों के अनुरूप संशोधित किए गए थे। तथापि, इन संशोधनों पर मंत्रालय का अनुमोदन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। निदेशालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली क्रियाविधि भिन्न है क्योंकि इसके पास परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए कोई रिसर्च बोर्ड नहीं है। प्रस्तावों को मूल्यांकन हेतु संबंधित डी आर डी ओ प्रयोगशाला को भेज दिया जाता है।

प्रमुख नियंत्रक अनुसंधान एवं विकास (प्रौद्योगिकी प्रबंधन) ने सितम्बर 2014 में एग्जिट कान्फ्रेंस में बताया कि मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करने की लेखापरीक्षा की मांग को अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है। यह भी आश्वासन दिया गया कि एक सामान्य स्थाई संचालन क्रियाविधि (एस ओ पी) तैयार की जाएगी तथा क्रियाविधि में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सुधार किया जाएगा।

आर बीज़ तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर के नियमों तथा परियोजना संस्वीकृति पत्रों का जी एफ आर के अनुरूप न होना

जी एफ आर में सिद्धांतों तथा क्रियाविधियों पर विस्तृत दिशानिर्देश इस अनुबंध के साथ दिए गए थे कि संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग सहायता के नियम अथवा ढ़ाँचा नियमों के अन्तर्गत तैयार करेंगे। इसके विपरीत,आर बीज़ के नियम तथा परियोजना संस्वीकृति पत्र जी एफ आर के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थे तथा जैसे कि नीचे दिए गए उदाहरणों में चर्चा की गई है,आर बीज़ अपने स्वयं के द्वारा रचित नियमों का भी अनुसरण नहीं कर रहे थे।

(1) जी एफ आर के नियम 215 (3) (1) के अनुसार, परियोजना अथवा योजना के समापन पर तकनीकी तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता के अलावा, ऐसे मामलों में एक शर्त शामिल की जानी चाहिए कि ऐसी निधियों से उपार्जित अथवा सृजित की गई भौतिक तथा बौद्धिक परिसंपत्तियों पर मालिकाना अधिकार प्रायोजक का होगा, जबकि आर बीज़ तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर के अनुदान संस्वीकृत करने वाले पत्र यह दर्शाते हैं कि यह अधिकार अनुदान प्राप्तकर्त्ता संस्थान (जी आई) के पास निहित होगा।

(2) जी एफ आर के नियम 211 के अनुसार, जी आई के लेखे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, द्वारा लेखापरीक्षा, मंत्रालय अथवा विभाग के प्रधान लेखा कार्यालय तथा अपनी इच्छा के चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध रहेंगे। तथापि, आर बीज़ तथा रक्षा अनुदान सहायता योजना के नियमों के अनुसार जी आई के समस्त लेखे अपने-अपने लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित होंगे तथा परियोजना की समाप्ति पर संपूर्ण परियोजना/ योजना के लिए लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत् लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत किए जाएंगे।

डी आर डी ओ को मूर्त परिणाम प्राप्त करने तथा योजना के न्याय-संगत एवं पारदर्शी रूप से निर्बाध क्रियान्वयन हेतु ठीक जी एफ आर की तर्ज पर नियम बनाने चाहिए।

7.2.2 बजट निरूपण

रिसर्च बोर्ड तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर बजट निरूपित/ फोरकास्ट करते हैं तथा इसे डी आर डी ओ के अधीन कार्यरत बजट,वित्त एवं लेखा निदेशालय (डी बी एफ ए) को निधियों के आवंटन हेतु प्रस्तुत करते हैं। डी बी एफ ए रिसर्च बोर्डों तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर की बजट मांगों को समेकित करता है तथा इन्हें मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। मंत्रालय डी बी एफ ए को बजट आंवटित करता है, जिसे आगे रिसर्च बोर्डों तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर को आवंटित कर दिया जाता है।

रक्षा अनुदान सहायता योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 से 2012-13 के लिए सभी रिसर्च बोर्डों तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर का सम्पूर्ण वर्ष-वार बजट आवंटन तथा व्यय **परिशिष्ट-VII** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा ने एल एस आर बी के संबंध में पांच वर्षों (2008-09 से 2012-13) के दौरान हुए बजट आवंटन में ₹ 7.00 करोड़ (2011-12) से ₹ 2.94 करोड़ (2012-13) हो जाने कि उतार-चढ़ाव वाली प्रवृति देखी।इसी प्रकार, एन आर बी के बजट में ₹ 3.90 करोड़ (2010-11) से ₹ 11.00 करोड़ (2011-12) के बीच उतार-चढ़ाव हुआ।

लेखापरीक्षा में इसे उजागर किए जाने पर (अप्रैल 2014),डी आर डी ओ ने बताया (मई 2014) कि बजट मांग का आधार वचनबद्ध देयता के लिए कैश आऊटगो तथा की जाने वाली वचनबद्धताओं के लिए कैश आऊटगो होता है तथा डी बी एफ ए द्वारा आर बीज़ और डी ई आर एण्ड आई पी आर को पैसा पिछले वर्ष के मांग तथा व्यय के पैटर्न के आधार पर जारी किया जाता है।

उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि बजट निरूपण के दौरान वचनबद्ध देयताएं तथा हाथ में ली जाने वाली परियोजनाओं के ब्यौरे दर्शाये नहीं जाते हैं। आगे, पिछले वर्ष के बजट के ऊपर गैर सामान्य बढ़त / घटत होना भी यह दर्शाता है कि बजट यथार्थवादी नहीं है।

तथापि, डी आर डी ओ ने एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान आश्वासन दिया कि भविष्य में बजट निरूपण प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी तथा संभावित अनुसंधान कार्यकलापों के लिए बजट पूर्वानुमानित करने हेतु पर्याप्त योजना बनायी जाएगी।

लेखापरीक्षा में देखी गई विसंगतियों के मद्देनजर तथा मजबूत बजट निरूपण प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए सभी रिसर्च बोर्डों/ डी ई आर एण्ड आई पी आर को चाहिए कि वे निधि हेतु अपनी मांग को प्रस्तुत करने के लिए बजट अनुमानों का निरूपण व्यय की पूर्व प्रवृतियों, जारी कार्यकलापों तथा हाथ में ली जाने वाली परियोजनाओं को ध्यान में रख कर करें। डी बी एफ ए द्वारा उचित बजट निरूपण तथा निधि प्रवाह प्रबंधन किया जाना चाहिए।

7.2.3 परियोजनाओं का चयन तथा संस्वीकृति

सभी डिसिप्लिन्स के बोर्डों की सहायता बहुत से विशेषज्ञ पैनल करते हैं जो कि बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा गठित किए जाते हैं। डी आर डी ओ के प्रतिनिधियों के अलावा एन आर बी, ए आर एण्ड डी बी तथा आर्मरेब के विशेषज्ञ पैनलों में आई आई टीज़, आदि, से भी सदस्य होते हैं, जबकि एल एस आर बी के पैनलों में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेन्टर (बी ए आर सी), इण्डियन कांऊसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आई सी एम आर), इण्डियन काऊंसिल ऑफ एग्रिकल्चरल रिसर्च (आई सी ए आर), आल इण्डिया इंस्टिट्यूट ऑफ मैडिकल साईंसेज (ए आई आई एम एस), श्री रामास्वामी मेमोरियल (एस आर एम) यूनिवर्सिटी, आदि से सदस्य होते हैं।

जी एफ आर के नियम 209 (3) में प्रावधान है कि अनुदान प्रदान करने पर विचार केवल इस आधार पर किया जाना चाहिए कि क्या संस्थान अथवा संगठन ने सुस्पष्ट योजनाएं बनाईं हैं तथा वे फलीभूत होने योग्य तथा विशिष्ट हैं। ऐसी योजनाओं के बजट में, अन्य बातों के अलावा, यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि परिव्यय के प्रति प्राप्त किए जाने वाले संभावित विशिष्ट मात्रात्मक तथा गुणवत्तात्मक लक्ष्य क्या हैं।

रिसर्च बोर्डों द्वारा अनुसरित की जाने वाली वर्तमान क्रियाविधि के अनुसार, वे थ्रस्ट क्षेत्रों को डी आर डी ओ की वेबसाइट से अधिसूचित करते हैं तथा जैसाकि जी एफ आर के तहत वांछित हैं, कोई भी योजनाएं फलीभूत होने की योग्यता तथा विशिष्टता के साथ सुस्पष्टता से तैयार नहीं की जा रही थीं। संस्थाएं अपने प्रस्ताव रिसर्च बोर्डों को प्रस्तुत करती हैं, जिसपर सम्बंधित रिसर्च बोर्ड के विशेषज्ञ पैनल के सदस्य विचार-विमर्श करते हैं। पैनल सदस्य प्रस्तावों का अपने अनुसंधान क्षेत्र के प्रति प्रासंगिकता

को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण करते हैं तथा सक्षम वित्तीय प्राधिकारी[109] (सी एफ ए) द्वारा परियोजनाओं की आगे संस्वीकृति हेतु अपनी सिफारिश देते हैं।

डी ई आर एण्ड आई पी आर द्वारा अनुसरण की जाने वाली क्रियाविधि अलग है, क्योंकि उनके पास परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए कोई रिसर्च बोर्ड नहीं है। प्रस्ताव या तो स्वेच्छानुसार प्रस्तुत किए जाते हैं या फिर प्रधान अन्वेषक (पी आई) से अनुरोध किया जाता है कि वह डी आर डी ओ की प्रयोगशाला आवश्यकताओं के आधार पर प्रस्ताव डी ई आर एण्ड आई पी आर को प्रस्तुत करे। केवल उन परियोजना प्रस्तावों का जो थ्रस्ट क्षेत्रों[110] से जुड़ी हों, का चयन किया जाता है और उस क्षेत्र में कार्य करने वाली डी आर डी ओ प्रयोगशालाओं को भेजा जाता है। प्रयोगशाला के विशेषज्ञ तकनीकी और वित्तीय दोनों पहलुओं का मूल्यांकन करते हैं तथा परियोजनाओं को सी एफ ए द्वारा आगे संस्वीकृत किए जाने हेतु अपनी सिफारिशों के साथ डी आर डी ओ मुख्यालय को अग्रेषित करते हैं।

लेखापरीक्षा जाँच से प्रकट हुआ कि आर बीज़ और डी ई आर एण्ड आई पी आर ने डी आर डी ओ वेबसाइट पर अनुसंधान के विशिष्ट क्षेत्रों के स्थान पर केवल विस्तृत थ्रस्ट क्षेत्रों को अधिसूचित किया था। आर बीज़ तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर द्वारा संभावित संस्थानों से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन अधिसूचना को छोड़कर कोई औपचारिक एक्सप्रैशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित नहीं किया जाता है। परियोजना प्रस्तावों का विश्लेषण करने की प्रणाली संतोषजनक नहीं हैं,क्योंकि एल एस आर बी को छोड़कर हमने अन्य तीनों आर बीज़ तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर में कोई डेटाबेस नहीं पाया जिसमें प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा तथा पैनल की प्रस्तावों को चयनित करने अथवा अस्वीकृत करने हेतु सिफारिशें हों तथा अयोग्य घोषित संस्थानों को प्रस्तावों के अस्वीकरण के कारणों को सूचित किए जाने की सूचना हो। यह इस तथ्य के मद्देनजर विशेषतौर से महत्वपूर्ण है कि 117 संस्थानों जिन्हें 299 परियोजनाएं दी गईं थीं,उनमें से 37 का संबंध निजी संगठनों से था।

एग्जिट कान्फ्रेंस में यह आश्वासन दिया गया कि सभी आर बीज़ तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर द्वारा प्राप्त परियोजना प्रस्तावों, विशेषज्ञ पैनल द्वारा स्वीकृति/अस्वीकृति के कारणों का डेटाबेस रखा जाएगा।

डी आर डी ओ को चयन प्रक्रिया की ऑडिट ट्रेल तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, कुल प्राप्त,चयनित, अस्वीकृत परियोजना प्रस्तावों तथा यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए कि स्पर्धा ईमानदारी से हुई थी तथा सर्वोत्तम अनुदान सहयता प्रस्ताव चुने गये थे, उनके तुलनात्मक मूल्यांकन का एक डेटाबेस अवश्य रखना चाहिए।

7.2.4 समय अधिक्रमण

अनुदान सहायता परियोजनाएं सामान्यतः दो से पाँच वर्ष की सम्भावित समापन तिथि (पी डी सी) के साथ ली जाती हैं। आर बीज़ द्वारा रचित नियमों तथा रक्षा अनुदान सहायता योजना में प्रावधान है कि परियोजनाओं का मूल अवधि से आगे जारी रखना किए गए कार्य के उचित मूल्यांकन तथा आवश्यक न्यायसंगतता सिद्ध होने के पश्चात केवल अपवादात्मक हालातों में ही अनुमत होगा। अतः, समय की

---

[109] सक्षम वित्तीय प्राधिकारी उन वित्तीय शाक्तियों के प्रत्यायोजन के हवाले से निर्णीत होता है जिसमें परियोजना लागत/मूल्य आता है।

[110] डी ई आर एण्ड आई पी आर के थ्रस्ट क्षेत्र है लो आब्जर्वेबल टैक्नोलॉजिज, गेलियम नाईट्राईड डिवाईसेज, सिलिकान कार्बाईड बेस्ड टैक्नोलॉजि टैक्नोलॉजिज फार सोल्जर सॅपोर्ट, नेनोटेक्नोलॉजिज, टैराहर्ज, सेन्सर्स,लेजर फंक्शनल मटिरियल्स, सौर ऊर्जा, मल्टीबैंड कनफार्मल एन्टिनाज, गैस टरबाईन टैक्नोलॉजिज हाईपरसोनिक्स,नेनोफोटोनिक्स,हाई एनर्जि मटिरियल्स,हाई पावर माईक्रोवेव,नेटवर्क सैन्ट्रिक ऑपरेशन्स, माईक्रो-इलैक्ट्रो-मेकेनिक्ल सिस्टम,हाई एफिसियेन्सि एयरोडायनमिक्स तथा आरमर्ड फाईटिंग व्हीकल्स हेतु एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम।

वृद्धि उन मामलों में प्रदान की जानी होती है जिनमें समय वृद्धि की ओर ले जाने वाले हालात् अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान (जी आई) के नियंत्रण से परे हों।

तथापि, जुलाई 2014 में लेखापरीक्षा विश्लेषण में पाया गया कि विस्तार प्रधान अन्वेषक (पी आई) के अनुरोध पर नियमित रूप से प्रदान किया गया था। विलंबित मामलों की स्थिति नीचे दी गई तालिका-15 में दर्शायी गई है:

तालिका-15: परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब

निदेशालय /बोर्ड	जाँची गई संपन्न परियोजनाओं की संख्या	समय अतिक्रमण वाली परियोजनाएं	विलंबित परियोजनाओं की प्रतिशतता	विलम्ब की अवधि		
				6 माह तक	6 से 12 माह तक	12 माह से अधिक
ए आर एण्ड डी बी	31	24	77.42	6	11	7
एन आर बी	59	47	79.66	18	18	11
आर्मरेब	13	8	61.54	6	2	0
एल एस आर बी	42	20	47.62	8	11	1
डी ई आर एण्ड आई पी आर	41	22	53.66	13	7	2
योग	**186**	**121**	**65.05**	**51**	**49**	**21**

(स्रोतःब्यौरे आर बीज़ /डी ई आर एण्ड आई पी आर की परियोजना फाइलों से प्राप्त किए गये।)

जाँच की गई 186 सम्पन्न हुई परियोजनाओं में से 121 (65 प्रतिशत) में समय अनुसूची का अनुसरण नहीं किया गया। 121 विलंबित परियोजनाओं में से 36 में कारणों का विश्लेषण किया गया तथा देखा गया कि:

- 25 परियोजनाओं में विलम्ब,डी आर डी ओ तथा जी आईज़ दोनों के आंतरिक कारणों से हुआ था क्योंकि निधियां जारी करने /प्रकाशन कार्य के पूरा होने/ रिपोर्ट तैयार करने में विलम्ब, इत्यादि, के कारण कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग नही किये जा सके, जो कि स्पष्ट रूप से परिहार्य था;
- 07 परियोजनाएं अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों के नियंत्रण से बाहर के कारणों जैसे कि उपकरण प्राप्त करने में विलम्ब/ प्रयोग के लिए वांछित विशिष्ट मदों की आपूर्ति में विलम्ब/मानिटरिंग समिति द्वारा बढ़ाए गए कार्यक्षेत्र के कार्य को पूरा करना, इत्यादि,से विलम्बित हुई थी;
- 04 मामलों में पी आईज़ द्वारा विस्तार / विलम्ब के लिए कोई कारण नहीं बताए गए थे।

डी आर डी ओ ने समय अतिक्रमण को स्वीकारते हुए अपने उत्तर में बताया कि प्रगति रिपोर्ट के समय से प्रस्तुतिकरण, तीव्रतर पत्राचार, तथा परियोजना की स्थिति की मॉनिटरिंग हेतु इंटरनेट आधारित साफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा विश्लेषण में पाया गया कि अधिकांश मामलों में विलम्ब होने का संबंध विभिन्न आंतरिक कारणों से था,जो कि स्पष्ट रूप से परिहार्य थे तथा आर बीज़ तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर द्वारा विस्तार प्रधान अन्वेषक के अनुरोध पर, बिना कारण मांगे, नियमित रूप से दी गई थीं।

7.2.5 लागत अधिक्रमण

परियोजना प्रबंधन की क्षमता दिए हुए समय ढांचे एवं लागत में परियोजना परिणाम सौंपने से मापी जाती हैं। 186 संपन्न हुई परियोजनाओं की नवम्बर 2013 में जाँच से प्रकट हुआ कि 52 परियोजनाओं (28 प्रतिशत) में जैसा कि नीचे तालिका 16 में दर्शाया गया है, ₹ 1.27 करोड़ की लागत वृद्धि हुई:

तालिकाः16 संपन्न हुई परियोजनाओं में लागत अधिक्रमण के ब्यौरे

निदेशालय/बोर्ड	जांची गई संपन्न परियोजनाओं की संख्या	लागत अतिक्रमण वाली परियोजनाएं	जांची गई परियोजनाओं में लागत अतिक्रमण के मामलों की प्रतिशतता	राशि (₹ लाख में)
ए आर एण्ड डी बी	31	4	12.90	12.40
एन आर बी	59	14	23.73	36.22
आर्मरेब	13	1	7.69	2.09
एल एस आर बी	42	20	47.62	51.48
डी ई आर एण्ड आई पी आर	41	13	31.71	24.63
योग	**186**	**52**	**27.96**	**126.82**

(स्रोतः डेटा/सूचना परियोजना फाइलों तथा डी आर डी ओ द्वारा प्रेषित ब्यौरों से ली गई।)

52 में से 33 मामलों के विस्तृत विश्लेषण से प्रकट हुआ कि परियोजनाओं की लागत में आरोही संशोधन बढ़ाई गई अवधि के दौरान अनुसंधान स्टाफ को दिए गए वेतन तथा वेतन में संशोधन तथा साथ-साथ उपभोग्य वस्तुओं/ रसायनों/उपकरणों की लागत के कारण हुआ था।

डी आर डी ओ ने उत्तर दिया कि लागत अधिक्रमण प्रयोगों तथा जूनियर रिसर्च फेलो/ सीनियर रिसर्च फेलो प्राप्त करने से संबंधित चुनौतियों के कारण था।

प्रेषित उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उनके नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अनुसंधान स्टॉफ की भर्ती के लिए अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान उत्तरदायी होगा तथा एक बार परियोजना की संबंधित आर बीज़/ डी ई आर एण्ड आई पी आर द्वारा संस्तुति हो जाने पर, संस्थान के पास काफी समय उपलब्ध होता है। आगे, परियोजना संस्वीकृत करते समय अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों की क्षमता की जांच करने तथा उनको जूनियर रिसर्च फेलो/ सीनियर रिसर्च फेलो प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय देने की जिम्मेदारी आर बीज़ तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर की होती है।

डी आर डी ओ को सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के उद्देश्य से रिसर्च बोर्डों द्वारा मानिटरिंग को और अधिक कठोर तथा प्रभावशाली बनाया जाए ताकि निर्धारित कार्यविधियों तथा लागत, समय तथा डिलिवरेबल्स की कसौटियों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके। नियमों के प्रति अपवाद केवल अपूर्व अपरिहार्य हालातों में ही अपनाए जाने चाहिए।

7.2.6 परियोजनाओं के वार्षिक लेखों में अनुदानों पर कमाए गए ब्याज को न दर्शाना

रिसर्च बोर्ड के अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान (जी आई) को अनुदान संस्वीकृत करने वाले पत्र में दी गई शर्तों के अनुसार अनुदान राशि को एक समयावधि में खर्च करना होगा तथा इस प्रकार प्राप्त हुई राशि को ऐसे समय तक अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान के एक अलग बैंक खाते में रखा जाएगा तथा उस पर कमाया गया ब्याज, यदि कोई है, रिसर्च बोर्डों के अधिकार में आएगा। तथापि, डी ई आर एण्ड आई पी

आर, इसी तरह का उपबंध अथवा शर्त अपने अनुदान संस्वीकृत करने वाले पत्र में शामिल नहीं कर रहा है।

अनुदान प्राप्तकर्त्ता संस्थानों द्वारा प्राप्त हुए अथवा कमाए गए ब्याज तथा इसे वार्षिक लेखों में दर्शाये जाने से संबंधित विवरण को नीचे तालिका-17 में दिया गया है:

तालिका :17 अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा प्राप्त/कमाए गए ब्याज तथा इसे उनके वार्षिक लेखों में दर्शाये जाने का विवरण

निदेशालय/बोर्ड	जाँची गई परियोजनाओं की संख्या	बचत बैंक खाता			परियोजनाओं की संख्या जिनमें अनुदान चालू बैंक खाते में जमा कराए गए थे	परियोजनाओं की संख्या जिनमें कोई सूचना नहीं दी गई	परियोजनाओं की प्रतिशतता जिनमें कमाए/ प्राप्त किए गए ब्याज को नहीं दर्शाया गया
		ब्याज दर्शाया गया	दर्शाए गए ब्याज की राशि (₹ लाख में)	ब्याज नहीं दर्शाया गया			
ए आर एण्ड डी बी	52	4	22.05	-	-	48	-
एन आर बी	88	23	18.67	35	30	-	60.34
आर्मरेब	15	-	-	-	-	15	-
एल एस आर बी	46	2	1.00	5	39	-	71.43
डी ई आर एण्ड आई पी आर	98	18	33.32	-	-	80	-
योग	299	47	75.04	40	69	143	61.54

(स्रोतः डेटा/ सूचना परियोजना फाईलों तथा डी आर डी ओ द्वारा प्रेषित ब्यौरों से ली गई।

नवम्बर 2013 में की गई लेखापरीक्षा जाँच से प्रकट हुआ किः

- आर बीज़ के नियमों/ संस्वीकृति पत्र में खातों के प्रकारों, जिनमें पैसा रखा जाएगा, को न दर्शाए जाने की बाबत अस्पष्टता है जिसके परिणामस्वरूप 87(47+40) परियोजनाओं (29 प्रतिशत) में जी आईज़ द्वारा अनुदान बचत बैंक खाते (एस बी ए) में जमा कराई जा रही थी तथा ₹ 75.04 लाख के कमाए गए ब्याज को जी आईज़ के अपने-अपने वार्षिक लेखों में दर्शाया गया था, जबकि 40 परियोजनाओं में, प्राप्त हुए ब्याज को वार्षिक लेखों में नहीं दर्शाया गया था।
- 69 परियोजनाओं (23 प्रतिशत) में, संस्वीकृति पत्र में यह स्पष्ट नहीं किए जाने के कारण कि किस बैंक खाते में अनुदानों की राशि जमा की जानी चाहिए, जी आईज़ द्वारा अनुदान को चालू बैंक खाते (सी बी ए) में जमा कराया जा रहा था तथा, इस प्रकार ब्याज कमाने का अवसर खो दिया गया।
- शेष बची 143 परियोजनाओं (48 प्रतिशत) के बारे में योजना के तहत दिए गए अनुदानों पर प्राप्त/ कमाये गए ब्याज, जी आईज़ द्वारा रखे जा रहे बैंक खाते के प्रकार तथा जी आईज़ द्वारा अनुदानों पर कमाए गए ब्याज को वार्षिक लेखों में दर्शाए जाने से संबंधित विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

लेखापरीक्षा में उजागर किए जाने पर, डी ई आर एण्ड आई पी आर ने उत्तर दिया कि केवल उन परियोजनाओं में ब्याज दर्शाया नहीं गया था जिनमें संस्थान के पास एक चालू बैंक खाता था तथा इस बिंदु को भविष्य हेतु नोट कर लिया गया है। ए आर एण्ड डी बी, आर्मरेब तथा एन आर बी सभी ने बताया कि लेखापरीक्षा टिप्पणी के लागूकरण/अनुपालन हेतु सभी जी आईज़ को एक पत्र लिखा जा रहा है। एल एस आर बी ने कहा कि वह संस्वीकृति पत्रों के माध्यम से संस्थानों से नियमित रूप से आग्रह कर रहा है कि वे अनुदानों को एक अलग बचत बैंक खाते से संचालित करें, जहाँ कुछ संस्थान अनुपालन कर रहे हैं वहीं कुछ अभी भी नहीं कर रहे हैं, संभवतया वे अपनी नीति का कठोरता से

अनुसरण कर रहे हैं तथा वह नई परियोजनाएं संस्वीकृत करते समय अभी भी इसी बात पर जोर दे रहा है। तथापि, उत्तर की इसके लेखापरीक्षा में कवर की गई अवधि के दौरान जारी किए गए अनुदान संस्वीकृत करने वाले पत्रों से संपुष्टि नहीं हुई।

उपरोक्त के विपरीत, डी आर डी ओ ने सितंबर 2014 में आगे बताया कि आई आई टीज़ तथा कुछ संस्थान अपने स्वयं के नियमों का अनुसरण करते हैं तथा अनुदानों को सी बी ए में जमा करते हैं। आगे, डी ई आर एण्ड आई पी आर बाद की निधियां जारी करने के दौरान ब्याज की राशि को घटाता रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डी आर डी ओ ने इस बात को आवश्यक नहीं समझा कि वह अपने आर बीज़ तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर को अनुदेश जारी करे कि राशि को एक बचत बैंक खाते में रखने हेतु एक अनुबन्ध स्वयं संस्वीकृति पत्र में ही शामिल किया जाए ताकि उचित ब्याज प्राप्त हो सके। आगे, क्योकि अनुदान आर बीज तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर द्वारा दिए जा रहे हैं, यह तर्क कि जी आईज़ अपने स्वयं के नियमों का अनुसरण कर रहे हैं, मान्य नहीं हैं।

इस बात पर विचार करते हुए कि अलग-अलग प्रथाओं का अनुसरण किया जा रहा है आर बीज़ तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर के नियमों में जी आईज़ द्वारा उचित लेखांकन हेतु अलग बचत बैंक खाता खोलने तथा अनुदान सहायता खाते पर अर्जित ब्याज को दर्शाये जाने की बाबत एक विशेष उल्लेख होना चाहिए।

7.2.7 लेखों के प्रमाणन की अनुचित प्रणाली

जी एफ आर के नियम 211(1) के अनुसार, जी आईज़ के लेखे दोनों, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा तथा मंत्रालय अथवा विभाग के प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा, हेतु उपलब्ध रहेंगे। तथापि, आर बीज़ तथा रक्षा अनुदान सहायता योजना के नियमों के अनुसार, जी आइज़ द्वारा रखे जा रहे सभी लेखे उनके अपने लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन होंगे। परियोजना की समाप्ति पर संपूर्ण परियोजना/योजना के लेखे लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत् लेखापरीक्षा के उपरान्त प्रस्तुत किए जाएंगे।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से उजागर हुआ कि 186 संपन्न हुई परियोजनाओं में से जी आईज़ ने 118 मामलों में अपने लेखे अपने आंतरिक वित्तीय खण्ड /लेखा अधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षित कराए थे। चार्टर्ड अकाउँटेंट (सी ए) अथवा बाहरी लेखापरीक्षक के माध्यम से लेखापरीक्षित लेखों के अभाव में लेखों के ईमानदारीपूर्ण प्रमाणन का आश्वासन प्राप्त नहीं होता है।

तालिका- 18: लेखापरीक्षित/गैर-लेखापरीक्षित लेखों के प्रस्तुतीकरण के ब्यौरे

निदेशालय/बोर्ड	जाँची गई संपन्न हुई परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृति की कुल राशि (₹ करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या जिनमें लेखे सीए/बाहरी लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित कराए गए थे	परियोजनाओं की संख्या जिनमें लेखे जी आई के आंतरिक वित्तीय स्कंध द्वारा प्रमाणित कराए गए थे	आंतरिक वित्तीय स्कंध द्वारा प्रमाणित कराए गए लेखों की प्रतिशतता
ए आर एण्ड डी बी	31	14.09	4	27	87.10
एन आर बी	59	21.78	28	31	52.54
आर्मरेब	13	3.56	7	6	46.15
एल एस आर बी	42	13.30	14	28	66.67
डी ई आर एण्ड आई पी आर	41	56.51	15	26	63.41
योग	186	109.24	68	118	63.44

स्रोतः डेटा/सूचना परियोजना फाईलों तथा डी आर डी ओ द्वारा प्रेषित ब्यौरों से ली गई

डी आर डी ओ ने उत्तर में बताया कि यद्यपि लेखापरीक्षित लेखे सभी अनुदान प्राप्तकर्त्ता संस्थानों से प्राप्त होते हैं, परंतु संस्थानों की लेखापरीक्षा के कारण लेखापरीक्षित लेखों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब हो जाता है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आर बीज़ के नियम भी जी एफ आर के नियम 211(3) के प्रावधानों के क्रम में नहीं है, जिसके अन्तर्गत लेखों को एक बाहरी लेखापरीक्षक/सी ए द्वारा लेखापरीक्षित कराया जाना होता है। जिसकी अनुपस्थिति में सार्वजनिक निधि हेतु रखे जाने वाले लेखों का निष्पक्ष प्रमाणन सुनिश्चित नहीं होता है।

डी आर डी ओ को बाहरी तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षा के माध्यम से वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित प्राधिकारी द्वारा लेखों के प्रमाणन हेतु कठोर नियम विद्यमान हैं।

7.2.8 विलंबित तथा अपूर्ण परियोजना समापन प्रतिवेदन

रक्षा अनुदान सहायता योजना/ अनुदान संस्वीकृत करने वाले पत्र के अनुसार, परियोजना के संपन्न होने/समाप्ति पर ए आर एण्ड डी बी, आर्मरेब तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर के संबंध में 60 दिनों के भीतर तथा एल एस आर बी तथा एन आर बी के संबंध में 90 दिनों के भीतर सभी आवश्यक प्रमाणपत्रों तथा वित्तीय सूचना के साथ एक समेकित समापन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। समापन प्रतिवेदन में परियोजना, सॉफ्टवेयर क्रियाकलाप,लेखों के अन्तिम विवरण,परियोजना के अन्तर्गत खरीदे गए उपकरणों की सूची, उपकरणों को अपने पास रखे जाने हेतु अनुरोध, उपयोग में न लाई गई निधियों के संबंध में वापसी/ डिमांड ड्राफ्ट के बारे में सूचना, परियोजना में मौलिक रूप से शामिल किए गए उद्देश्यों के प्रति हासिल की गई सफलताओं तथा परिणामों के उपयोग की बाबत पूर्ण/ पर्याप्त तकनीकी ब्यौरे शामिल होने चाहिए।

उपरोक्त प्रावधानों के बावजूद जैसा कि नीचे तालिका-19 में दर्शाया गया है, हमने पाया कि पी आईज़ द्वारा परियोजना समापन प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किए जा रहे थेः

तालिका-19: परियोजना समापन प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब का विवरण

निदेशालय/बोर्ड	संपन्न परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की संख्या जिनमें समापन प्रतिवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किए गए थे	परियोजनाओं की संख्या जिनमें पी आईज़ द्वारा समापन प्रतिवेदन बिलकुल नहीं भेजे गए थे	परियोजनाओं की संख्या जिनमें परियोजना समापन प्रतिवेदन भेजने में विलम्ब शामिल था	विलम्ब की रेंज		
					6 माह से कम की	6 माह से लेकर 12 माह से कम की	12 माह या अधिक की
ए आर एण्ड डी बी	**31**	**05**	**12**	**14**	**08**	**08**	**10**
एन आर बी	**59**	**08**	**21**	**30**	**15**	**13**	**23**
आर्मरेब	**13**	**04**	**0**	**09**	**05**	**03**	**01**
एल एस आर बी	**42**	**09**	**07**	**26**	**15**	**10**	**08**
डी ई आर एण्ड आई पी आर	**41**	**06**	**17**	**18**	**21**	**05**	**09**
योग	**186**	**32**	**57**	**97**	**64**	**39**	**51**
			154		**154**		

स्रोतः डेटा/ सूचना परियोजना फाईलों तथा डी आर डी ओ द्वारा प्रेषित ब्यौरों से ली गई।

दिसम्बर 2013 में लेखापरीक्षा जाँच से उजागर हुआ किः

- जाँची गई 186 संपन्न परियोजनाओं में से 57 (31 प्रतिशत) में पी आईज़ ने पी डी सी की समाप्ति से 12 माह से अधिक की अवधि बीत जाने के बावजूद, समापन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए। तथापि, एक परियोजना में जी आई ने जो अक्तूबर 2007 में संस्वीकृत की गई थी तथा जिसे अक्तूबर 2009 में पूर्ण होना था, पाँच वर्ष बीत जाने के बावजूद भी समापन प्रतिवेदन प्रस्तुत नही किया (सितम्बर 2014)।

- 186 परियोजनाओं में से 97 (52 प्रतिशत) में समापन प्रतिवेदन छः माह से लेकर 12 माह से अधिक समय के विलम्ब के साथ प्रस्तुत किए गए थे।

- समापन प्रतिवेदन के अभाव में अथवा प्रगति प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण में देरी के कारण,परियोजना में मौलिक रूप से उल्लिखित उद्देश्यों के प्रति प्राप्त सफलताओं तथा निधियों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

- परियोजना समापन प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब के अलावा जी आईज़ ने अपूर्ण समापन प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि 73 मामलों में इनवेंटरी तथा 85 मामलों में खर्च न हुई राशि के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

डी आर डी ओ ने तथ्यों को स्वीकारते हुए अपने उत्तर में बताया कि जी आईज़ को बार-बार अनुस्मारक जारी करके परियोजना समापन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

प्रेषित उत्तर सामान्य है क्योंकि संस्थानों/ विश्वविद्यालयों को आगे अनुदान सहायता देने से वर्जित किया जाना चाहिए था,क्योंकि समापन प्रतिवेदन एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिससे किए गए अनुसंधान तथा प्राप्त किए गए उद्देश्यों का पता चलता है, जिसके अभाव में परियोजना के परिणाम को मापा नहीं जा सका। आगे, उपकरणों का निपटान, खर्च न हुए शेष की वापसी तथा लेखों को अन्तिम रूप दिया जाना परियोजना समापन प्रतिवेदन के अभाव में लंबित रह जाता है।

उल्लिखित महत्व के मद्देनजर आर बीज़/ डी ई आर एण्ड आई पी आर को मॉनिटर करना चाहिए जिससे जी आईज़ द्वारा परियोजना समापन प्रतिवेदन के समय से प्रस्तुतिकरण को सुनिश्चित किया जा सके।

7.2.9 खर्च न हुए शेष की गैर-वापसी

रिसर्च बोर्डों के अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान (जी आई) को अनुदान संस्वीकृत करने वाले पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, जी आई द्वारा परियोजना के सम्पन्न होने पर खर्च न हुए शेष को वापस किया जाना चाहिए। आगे,डी ई आर एण्ड आई पी आर के अनुदान संस्वीकृत करने वाले पत्र के अनुसार, परियोजना की समाप्ति पर, जी आईज़ के पास बचा हुआ पैसा डी आर डी ओ को वापस किया जाएगा।

दिसंबर 2013 में लेखापरीक्षा ने देखा कि 186 संपन्न हुई परियोजनाओं में से केवल 72 (39 प्रतिशत) में ही जी आईज़ ने परियोजनाएं संपन्न होने पर खर्च न हुए ₹ 1.64 करोड़ के शेष को वापस किया था। 85 मामलों (45.7 प्रतिशत) के संबंध में डी बी एफ ए/डी आर डी ओ के पास खर्च न हुई राशि के ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे। यह जी आईज़ का कर्तव्य होता है कि वे प्रत्येक वर्ष वार्षिक लेखे तथा परियोजना की समाप्ति पर अन्तिम लेखे प्रेषित करें परन्तु डी आर डी ओ/डी बी एफ ए इस प्रावधान का अनुपालन कराने में असफल रहे जिससे जी आईज़ के पास खर्च न हुए शेष का धारण जारी रहा।

डी आर डी ओ ने अपने उत्तर में कहा कि अनुदान प्राप्तकर्त्ता संस्थान परियोजनाएं संपन्न होने के पश्चात् शेष बची राशि वापस कर देते हैं। तथापि, कुछ मामलों में यह असाधारण रूप से विलम्बित हो जाता है।

उत्तर विशिष्ट नहीं है तथा केवल सामान्य टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं हैं, क्योंकि आर बीज़/ डी ई आर एण्ड आई पी आर यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या परियोजना समापन पर खर्च न हुआ शेष, यदि कोई है, निर्धारित समय के भीतर वापस तथा सरकारी खाते में जमा किया जाए।

सरकारी हित की सुरक्षा के लिए यह संस्तुति की जाती है कि डी बी एफ ए, आर बीज़ तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर को सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजना के संपन्न होने पर खर्च न हुई शेष राशियों को जी आईज़ द्वारा अन्तिम लेखे प्रस्तुत करते समय दर्शाया जाए तथा समय से वापस किया जाए, जिसके न किए जाने पर दंडात्मक ब्याज प्रभारित करने का एक प्रावधान होना चाहिए।

7.2.10 जी आईज़ द्वारा इनवेंटरी के ब्यौरों का गैर-प्रस्तुतिकरण तथा उपकरणों का स्वयं के पास रखना

जी एफ आर का नियम 215 (3) (1) कहता है कि परियोजना अथवा योजना के संपन्न होने पर तकनीकी तथा वित्तीय प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता के अलावा, प्रायोजित परियोजनाओं में एक अनुबन्ध शामिल किया जाना चाहिए कि ऐसी निधियों से सृजित अथवा अर्जित भौतिक तथा बौद्धिक परिसंपत्तियों पर स्वामित्व प्रायोजक में निहित होगा। जी एफ आर का नियम 215 (3) (2) कहता है कि परियोजनाओं अथवा योजनाओं के संपन्न होने तथा तकनीकी एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, मंत्रालयों अथवा विभागों को इस बाबत निर्णय लेना चाहिए तथा कार्यान्वित करने वाली एजेन्सियों को सूचित करना चाहिए कि क्या परिसंपत्तियाँ वापस लौटाई जानी चाहिए, बेची जानी चाहिए अथवा उनके द्वारा अपने पास रखी जानी चाहिए। जी एफ आर का नियम 215 (3) (3) कहता है कि यदि परिसंपत्तियाँ बेची जानी हैं तो इससे प्राप्त पैसा प्रायोजक के खाते में जमा किया जाना चाहिए। यदि परिसंपत्तियों को संस्थान/संगठन द्वारा अपने पास रखा जाना अनुमत होता है तो कार्यान्वित करने वाली एजेन्सियों को परिसंपत्तियाँ अपने खातों में अंकित मूल्य पर दर्ज करनी चाहियें।

आगे, आर बीज़ के नियम में प्रावधान है कि अनुदान सहायता से खरीदे गए उपकरणों के सभी इनवेंटरी ब्यौरे अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा एक निर्धारित फार्मेट में जिसमें उसकी लागत, खरीद की तिथि तथा आपूर्तिकर्ता का नाम, इत्यादि के साथ उपकरण का वर्णन (उपयोग्य अथवा गैर-उपयोग्य है) अनुदान प्राप्तकर्ता के लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणन के साथ कि आवश्यक पड़ताल कर ली गई है तथा इनवेंटरी सही पाई गई है, आर बीज/ डी ई आर एण्ड आई पी आर को भेजे जाने चाहिए। नियम यह भी कहते है कि उपकरण/ फालतू सामान संबंधित बोर्ड/ निदेशालय की संपत्ति होगा, जो परियोजनाओं के समापन पर भविष्य में उनके हस्तांतरण अथवा निपटान के लिए उत्तरदायी होंगे। बोर्ड /निदेशालय अनुदान प्राप्तकर्त्ता के लिखित अनुरोध तथा संबंधित रिसर्च पैनल की सिफारिश के आधार पर कुछ अथवा सभी उपकरणों के संबंधित संस्थान को पूर्ण रूप से हस्तांतरण हेतु सहमत हो सकता है।

जांची गई 186 संपन्न परियोजनाओं में संयंत्रो तथा उपकरणों (पी एण्ड ईज़) की खरीद पर किए गए व्यय के ब्यौरे तथा पी एण्ड ईज़ की सूचना जो अनुदान प्राप्तकर्त्ता संस्थानों द्वारा नहीं भेजी गई नीचे तालिका-20 में दर्शाया गई है:

तालिका - 20: जी आइज़ द्वारा प्रेषित पी एण्ड ईज़ की इनवेंटरी के रिसर्च बोर्ड/ निदेशालय-वार ब्यौरे

निदेशालय/बोर्ड	संपन्न हुई परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृति की कुल राशि (₹ करोड़ में)	संस्वीकृतियों में उपकरणों के लिए शामिल की गई राशि (₹ करोड़ में)	उपकरणों की खरीद पर व्यय (₹ करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या जिनमें जी आइ द्वारा इनवेंटरी ब्यौरे नहीं भेजे गए	परियोजनाओं की प्रतिशतता जिनमें इनवेंटरी ब्यौरे नही भेजे गए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ए आर एण्ड डी बी	31	14.09	7.02	5.71	16	51.61
एन आर बी	59	21.78	10.07	9.1	18	30.51
आर्मरेब	13	3.56	1.43	1.61	2	15.38
एल एस आर बी	42	13.30	3.38	2.90	28	66.67
डी ई आर एण्ड आई पी आर	41	56.51	25.91	26.28	9	21.95
योग	186	109.24	47.81	45.60	73	39.25

स्रोतः डेटा/सूचना डी आर डी ओ की फाइलों से ली गई

दिसम्बर 2013 में लेखापरीक्षा जाँच में उजागर हुआ कि:

- जी आईज़ ने186 संपन्न हुई परियोजनाओं में से,73 में खरीदे गए पी एण्ड ईज़ के विवरण नहीं भेजे जिससे डी आर डी ओ द्वारा भुगतान किए गए अनुदान के पैसे का पर्याप्त रूप से लेखांकन नहीं हुआ;

- प्रायोजित परियोजनाओं के संस्वीकृति पत्र में कोई अनुबन्ध नहीं था कि सृजित भौतिक परिसंपतियों पर स्वामित्व डी आर डी ओ में निहित होगा।

- 186 संपन्न हुई परियोजनाओं के संबंध में,पी एण्ड ईज की अधिप्राप्ति के लिए ₹ 47.81 करोड़ की राशि का प्रबंध किया गया था तथा जिसके प्रति अनुदान प्राप्तकर्त्ता संस्थान द्वारा जैसा कि उनके लेखों में दर्शाया गया था ₹ 45.60 करोड़ का व्यय किया गया था।

- जी आईज़ ने 51 मामलों में नियम के विपरीत,उपकरण अपने पास रखने का अनुरोध किया जिसमें से जाँचे गए रिकार्ड के अनुसार 31 मामलों में रखने हेतु आर बीज़ /डी ई आर एण्ड आई पी आर द्वारा अनुमति दी गई तथा शेष 21 मामलों में निपटान फैसला नहीं दिया गया। 135 परियोजनाओं में,उपकरणों के स्वंय द्वारा धारण को दर्शाने वाले कोई ब्यौरे रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे। आर बीज़/डी ई आर एण्ड आई पी आर ने नियमों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया।

डी आर डी ओ ने अपने उत्तर में बताया कि सभी परियोजनाओं में जी आईज़ द्वारा खरीदे गए पी एण्ड ईज़ का ब्यौरा संस्थान के प्रशासनिक प्राधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के साथ फॉर्म जी एफ आर -19 में प्रस्तुत किया जाता है।

डी आर डी ओ का उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि, जैसा कि ऊपर दी गई तालिका-20 से दृष्टिगोचर है, 186 जी आईज़ में से 73 जी आईज़ ने किसी भी फॉर्म में इनवैटरी ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए थे। आगे 135 मामलों में जी आईज़ ने पी एण्ड ईज़ को अपने पास रखने की अनुमति नहीं मांगी थी तथा इन मामलों में आर बीज़/ डी ई आर एण्ड आई पी आर ने जी आईज पर जोर नहीं डाला कि वे पी एण्ड ईज़ को अपने पास रखने के लिए अनुरोध भेजें। आर बी/ डी ई आर एण्ड आई पी आर ने, लागत सहित, खरीदे गए पी एण्ड ईज़ तथा साथ-साथ जी आईज़ की आवश्यकता से अधिक पी एण्ड ईज़ तथा उनके निपटान का विवरण मांगा जाना भी सुनिश्चित नहीं किया।

उचित लेखांकन तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, आर बीज़/ डी ई आर एण्ड आई पी आर को जी आईज द्वारा अपने पास रखे जाने वाले पी एण्ड ईज़ का डेटाबेस रखना चाहिए। अनुदान प्राप्तकर्त्ता संस्थान द्वारा उपकरण का निपटान इस शर्त से बंधा होना चाहिए कि उससे प्राप्त पैसे को बिना हेर फेर के सरकार को वापस किया जाए तथा अन्य संगठनों को हस्तांतरण केवल डी आर डी ओ की पूर्व अनुमति से ही किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जी आईज़ द्वारा खरीदे गए पी एण्ड ईज़ को बिना हेर फेर के आवश्यक फॉर्मेट में उसके मूल्य के साथ दर्शाया गया है।

7.2.11 योजना का परिणाम

रक्षा अनुदान सहायता योजना के तहत केवल उन्हीं परियोजनाओं अथवा योजनाओं को सहायता प्रदान की जाएगी जो वास्तविक वैज्ञानिक महत्व तथा रक्षा हित की हों। आगे, नियम कहते हैं कि कार्य से प्राप्त परिणाम तथा कोई भी आविष्कार अथवा पेटेंट डी आर डी ओ की संपत्ति होंगें जिसका इस बात पर निर्णय लेने का कि परिणाम का प्रकाशन तथा व्यवसायिक रूप से दोहन किया जाना चाहिए अथवा नहीं और यदि ऐसा है तो किन शर्तों पर, एक तरफा अधिकार होगा। विकसित किए गए नये उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टी ओ टी) आत्म-निर्भरता तथा क्षेत्र विशेष में आयात को कम करने के उद्देश्य से किया जाएगा। अनुदान सहायता की बाबत रिसर्च बोर्ड के नियमों के अनुसार, टी ओ टी की औपचारिकताओं पर फैसला नो-हाऊ ट्रांसफर/टी ओ टी कमिटी, जिसमें परियोजना प्रायोजित करने वाले संबंधित पैनल कोऑर्डिनेटर, परियोजना का प्रधान अन्वेषक, अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान के प्रतिनिधि तथा रिसर्च बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं के आधार पर लिया जा सकता है। नो-हाऊ कॅमिटी अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापन के पश्चात् प्राप्त हुए आवेदन पत्रों के आधार पर टी ओ टी की औपचारिकताओं पर विचार करेगी।

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि किसी भी रिसर्च बोर्ड/ डी ई आर एण्ड आई पी आर के अन्तर्गत डी आर डी ओ की रक्षा अनुदान सहायता योजना से कभी भी कोई भी पेटेंट/टी ओ टी अभी तक परिणामी रूप से उत्पन्न नहीं हुआ था। परिणास्वरूप, लेखापरीक्षा में विश्वस्तरीय उपकरण/ प्रणाली के विकास हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए अनुदान सहायता योजना से कोई मूर्त वैज्ञानिक महत्व के योगदान मिलने की संपुष्टि नहीं हो सकी।

डी आर डी ओ ने उत्तर में बताया कि टी ओ टी आर बीज़ तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर के संबंध में लागू नहीं होता है क्योंकि संस्वीकृत की गई परियोजनाएं मौलिक अनुसंधान क्षेत्रों में होती हैं तथा सामान्यतः प्रौद्योगिकी विकास के रूप में फलीभूत नहीं होती हैं। पेटेंट फाईलिंग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

उत्तर विशिष्ट नहीं है क्योकि संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों को वैज्ञानिक महत्व की परियोजनाएं रक्षा आवश्यकताओं हेतु दी जाती हैं तथा अनुसंधान के तकनीकी परिणाम डी आर डी ओ के अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों में सहायक हो सकते थे। आगे,उनके अपने नियमों में पेटेंट/ टी ओ टी का प्रावधान है, तथापि, योजना के लिए निधियाँ जारी करते समय, परियोजना संस्वीकृति पत्रों में विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान से प्राप्त होने वाले मूर्त परिणाम कि बाबत कोई उपबंध सम्मिलित नहीं किया जाता है। आगे, विश्वविद्यालयों/संस्थानों की अनुसंधान प्रतिभा को उपयोग में लाने के मद्देनजर सम्पन्न हुई परियोजनाओं पर सार-संग्रह सामने लाए जाने तथा प्रयोगशालाओं को भेजे जाने का कोई प्रयत्न दृष्टिगोचर नहीं हुआ।

7.2.12 रक्षा अनुदान सहायता योजना की मॉनिटरिंग तथा नियंत्रण

रक्षा मंत्रालय ने डी आर डी ओ के लिए रक्षा अनुदान सहायता योजना अप्रैल 1969 में आरम्भ की। लेखापरीक्षा जाँच के दौरान हमने देखा कि रिसर्च बोर्ड तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर के कार्य तथा

प्रबंधन का कोई नियमित मूल्यांकन नहीं किया गया था। योजना की शुरूआत से केवल एक पुनरीक्षा बैठक एस ए टू आर एम की अध्यक्षता में अगस्त 2011 में हुई थी, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सुझाव दिए गए किः

i. एक प्रभावशाली पुनरीक्षा प्रक्रिया लागू किए जाने की आवश्यकता है;

ii. बोर्ड तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर में संस्वीकृत परियोजनाओं को दोहराये जाने से बचने के लिए क्रियाविधि विकसित की जानी चाहिए;

iii. संपन्न हुई परियोजनाओं पर बोर्ड द्वारा एक सार-संग्रह निकाले जाने तथा उचित उपयोग हेतु प्रयोगशालाओं में प्रचारित किए जाने की पूर्ण आवश्यकता है;

iv. डी आर डी ओ के लिए द्रोणा[111] के माध्यम से शेयर किए जाने योग्य एक सैन्ट्रल डेटाबेस सृजित तथा शेयर किया जाना चाहिए।

मंत्रालय/ डी आर डी ओ द्वारा योजना की किसी पुनरीक्षा की अनुपस्थिति में,हमने देखा कि उचित बजट निरूपण प्रणाली का न होना, समेकित तथा विस्तृत डेटाबेस के बिना परियोजनाओं को चयनित तथा संस्वीकृत करना, परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब होना,लागत अतिक्रमण, अनुदानों से अर्जित ब्याज को न दर्शाना, जी आईज़ द्वारा आर बीज़/ डी ई आर एण्ड आई पी आर के अनुमोदन के बिना पी एण्ड ईज़ को अपने पास रखना तथा योजना के तहत लिए गए अनुसंधान कार्यों के परिणाम पर डेटा का अभाव, जैसी कमियाँ थीं।

डी आर डी ओ ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया कि प्रभावशाली पुनरीक्षा प्रक्रिया पहले से ही मौजूद है तथा सुधार के लिए उपाय अपनाए जाएंगे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बताए गए सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए कोई निश्चित समय-ढाँचा निर्धारित नहीं किया गया था, इस प्रकार योजना की प्रभावी पुनरीक्षा हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

7.3 डी ई आर एण्ड आई पी आर द्वारा संस्वीकृत परियोजनाएं

डी आर डी ओ का 01 जनवरी 1958 को सृजन होने पर, एक्स्ट्राम्यूरल रिसर्च (ई आर) कार्यकलापों का निष्पादन समकालीन प्रशिक्षण एवं प्रायोजित अनुसंधान निदेशालय (डी टी एस आर) के सौजन्य से हो रहा था। डी आर डी ओ की ई आर के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के तहत विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप बौद्धिक संपत्ति अधिकार (आई पी आर) की प्रासंगिकता के कारण, 01 मई 2000 को एक अलग एक्स्ट्राम्यूरल रिसर्च एण्ड इंटलैक्चुअल राईट्स निदेशालय (डी ई आर एण्ड आई पी आर) का सृजन किया गया। तथापि, इस निदेशालय के सृजन से संबंधित मंत्रालय की संस्वीकृति लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई। डी ई आर एण्ड आई पी आर द्वारा संस्वीकृत परियोजनाओं में से कुछ में नोटिस की गई अनियमितताओं पर नीचे चर्चा की गई हैः

मामला-I: हैदराबाद विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस-एडवांस्ड सेंटर फॉर रिसर्च इन हाई एनर्जिमैटिरियल्स (ए सी आर एच ई एम)का अनियमित सृजन

रक्षा अनुदान सहायता के नियमों में प्रावधान है कि अनुसंधान एवं विकास संगठन एक अनुसंधान प्रयोगशाला में मूल सुविधाओं के निर्माण हेतु सहायता के लिए आवेदनों पर विचार नहीं कर सकता है।

[111] द्रोणा का विस्तृत रूप डी आर डी ओ रैपिड ऑनलाइन नेटवर्क एक्सेस सिस्टम है जिसमें एक मेल सर्वर तथा फायरवाल सर्वर होता है।

मार्च 2005 में रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद विश्वविद्यालय (यू ओ एच) से एक एडवांस्ड सेंटर आफ रिसर्च इन हाई एनर्जिमैटिरियल्स स्थापित करने हेतु प्राप्त एक प्रस्ताव के आधार पर,हैदराबाद विश्वविद्यालय (यू ओ एच) को यू ओ एच की एक अलग एन्टिटी के रूप में, एडवांस्ड सेंटर फॉर रिसर्च इन हाई एनर्जिमैटिरियल्स (ए सी आर एच ई एम) के सृजन के लिए ₹ 34.79 करोड़ की अनुदान सहायता संस्वीकृत की। परियोजना मार्च 2010 तक पूर्ण की जानी थी जिसे मई 2011 तक बढ़ा दिया गया था। संस्वीकृति में ₹ 13.35 करोड़ का उपकरणों, ₹ 2.04 करोड़ का इमारत,₹ 2.50 करोड़ का पुस्तकालय,₹ 4.78 करोड़ का रख-रखाव तथा शेष ₹ 12.12 करोड़ का विभिन्न प्रशासनिक लागतों तथा उपरिव्ययों हेतु प्रावधान किया गया था।

09 मार्च 2005 को डी आर डी ओ तथा यू ओ एच के बीच पाँच वर्षों के लिए एक सहयोग ज्ञापन (एम ओ सी) लिखा गया। तथापि, फेज-I का ₹ 34.64 करोड़ के अनुदान के प्रति ₹ 38.99 करोड़ खर्च करने के बाद मई 2011 में समापन हुआ, जिससे, मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना, ₹ 4.35 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

नवम्बर 2013 में लेखापरीक्षा जाँच से निम्नलिखित उजागर हुआः

- रक्षा अनुदान सहायता से ₹ 4.47 करोड़ की लागत से इमारत/आधारभूत सुविधाओं का सृजन हुआ जो योजना के नियमों के विरुद्ध था।

- एक वर्ष से अधिक का समय अधिक्रमण तथा संस्वीकृत राशि के उपर ₹4.35 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

इमारत के सृजन पर टिप्पणियाँ प्रेषित करते हुए डी आर डी ओ ने उत्तर में बताया कि प्रस्ताव योजना ढाँचे के अन्तर्गत आता है तथा अतिरिक्त व्यय हेतु मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमों के अनुसार अनुसंधान परियोजना हेतु अनुदान उन संस्थानों को दिया जाता है जिनके पास आवश्यक मूल आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तथपि, एक विश्वविद्यालय में रक्षा अनुदान सहायता योजना के नियमों के उल्लंघन में मूल/ आधारभूत सुविधाओं का निर्माण करके, अलग एन्टिटी के रूप में एक स्वायत सैंटर आफ एक्सिलेंस का सृजन किया गया। आगे, संस्वीकृत लागत के ऊपर ₹ 4.35 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया।

मामला - II: परियोजना का पूर्वसमापन

जी एफ आर का नियम 21 कहता है कि किसी भी प्राधिकारी को अपनी व्यय संस्वीकृत करने की शाक्तियों का उपयोग ऐसा कोई आदेश जारी करने के लिए नहीं करना चाहिए जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उसके स्वंय के लाभ के लिए हो।

रक्षा अनुदान सहायता परियोजनाएं उन संस्थानों को दिया जाना वांछित होता है जिनके पास कार्य के लिये मूल अनुसंधान सुविधाएं तथा आवश्यक सक्षमता तथा प्रासंगिक तकनीकी पृष्ठभूमि रखने वाला स्टॉफ उपलब्ध हो।

जुलाई 2010 में सचिव, रक्षा (अनुसंधान एवं विकास) ने, सी आर राव एडवांस्ड इंस्टिट्यूट ऑफ मैथेमेटिक्स,स्टटिस्टिक्स एण्ड कम्प्यूटर साईंस (ए आई एम एस सी एस) हैदराबाद के प्रतिनिधियों तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर (डी आर डी ओ मुख्यालय) के बीच जून 2010 में हुई चर्चा के आधार पर मल्टिपल इनपुट मल्टिपल आउट्पुट (एम आई एम ओ) रडार पर ₹ 2.88 करोड़ की लागत पर

सितम्बर 2013 की पी डी सी के साथ तीन वर्ष के लिए ए आई एम एस सी एस[112] द्वारा निष्पादित किए जाने हेतु एक परियोजना संस्वीकृत की, जबकि संस्थान को पहले वर्ष के लिए ₹ 90.30 लाख की किस्त सितम्बर 2010 में दे दी गई।

तथापि, परियोजना सलाहकार समिति (पी ए सी)[113] की सिफारिशों के आधार पर प्रमुख नियंत्रक अनुसंधान एवं विकास (सी सी आर एण्ड डी) ने जून 2012 में परियोजना को मानवशक्ति के अभाव के आधार पर पूर्व समाप्त कर दिया।

अक्तूबर 2013 में लेखापरीक्षा जाँच से निम्नलिखित सामने आयाः

- परियोजना, सचिव,रक्षा (अनुसंधान एवं विकास) द्वारा संस्वीकृत की गई थी,तथपि, इसका पूर्व समापन निचले सक्षम वित्तीय प्राधिकारी अर्थात डी आर डी ओ मुख्यालय में सी सी आर एण्ड डी द्वारा रिसर्च फेलोज की कमी के आधार पर कर दिया गया, जो कि प्रमाणित करता है कि आवश्यक सक्षमता तथा प्रासंगिक तकनीकी पृष्टभूमि वाले स्टाफ की उपलब्धता, जैसाकि नियमों के अन्तर्गत वांछित है, सुनिश्चित नहीं की गई थी। परियोजना के पूर्व-समापन का परिणाम न केवल परियोजना के वांछित उद्देश्यों की गैर-प्राप्ति में, बल्कि ₹ 62.05 लाख तक के व्यर्थ व्यय में भी हुआ।

- प्रसंगवश, यह देखा गया कि परियोजना सचिव,रक्षा (अनुसंधान एवं विकास) /डी जी डी आर डी ओ/ एस ए टू आर एम द्वारा संस्वीकृत की गई थी, जो संस्थान की गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष तथा संस्थान के मामलों के संचालन के लिए जिम्मेदार एसोशिएशन का उपाध्यक्ष भी था।

डी आर डी ओ ने उत्तर में बताया कि जब परियोजना को सौंपा गया था तब इसके पास अनुसंधान क्षेत्र में विशेषज्ञ मौजूद थे, परन्तु पी आई ने संस्थान को छोड़ दिया, जिससे परियोजना प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। वैकल्पिक विशेषज्ञ का पता लगाने की बाबत किए गए प्रयत्न, असफल रहे। प्रयोगशाला से संसाधनों को बढ़ाने का प्रयत्न भी किया गया था परन्तु परियोजनाओं में प्रगति न हो सकी। आगे, सचिव, रक्षा (अनुसंधान एवं विकास)/ डी जी डी आर डी ओ/ एस ए टू आर एम सोसायटी के अध्यक्ष थे,जो कि शुद्ध रूप से एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक को दी जाने वाली एक अवैतनिक पदवी है तथा वह सोसायटी के दिन प्रति दिन के कार्यकलापों में शामिल नहीं होता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना के नियमों की शर्तों के अनुसार परियोजना केवल उन विश्वविद्यालयों/ संस्थानों को संस्वीकृत की जाएगी जहाँ उपकरणों/कार्मिकों के रूप में मूल सुविधाएं उपलब्ध है, परियोजना नियम का उल्लंघन करके संस्थान को दी गई थी जिसके पास रिसर्च फेलोज नहीं थे तथा परियोजना को तर्कसंगत निष्कर्ष तक पहुँचाए बिना पूर्व-समाप्त कर दिया गया था। तथ्य यही है कि मंत्रालय ने निधियाँ एक निजी सोसायटी को संस्वीकृत तथा जारी कीं,जो संस्वीकृत परियोजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त रिसर्च फेलोज को अपने पास रखना सुनिश्चित नहीं कर सकी, जिसका परिणाम परियोजना के पूर्व-समापन के कारण व्यर्थ व्यय में हुआ। आगे, परियोजना को स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी संस्थान की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष का पद धारण किए हुए था।

मामला - III: एक अध्ययन हेतु परियोजना संस्वीकृत करना

मंत्रालय ने अप्रैल 2008 में नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (एन आई ए एस) बंगलौर को, जो कर्नाटक सोसायटीज रजिस्ट्रेशन रेग्युलेशन एक्ट 1960 के तहत पंजीकृत एक निजी संस्थान है,

[112] आंध्र प्रदेश सोसायटी अधिनियम,2001 के तहत पंजीकृत एक निजी संस्थान
[113] डी ई आर एण्ड आई पी आर, डी आर, डी ओ की प्रोजैक्ट एडवाईजरी कमिटि।

₹ 4.72 करोड़ की लागत से पाँच वर्ष के लिए "राष्ट्रीय सुरक्षा के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयाम" पर एक परियोजना संस्वीकृत की । परियोजना की पी डी सी जून 2013 तक थी जिसे बाद में एक वर्ष से बढ़ाकर जून 2014 तक कर दिया गया। परियोजना के कार्यक्षेत्र में, जो कि नीचे उल्लेखित है, अन्य देशों के युद्ध-कूटनीति के क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षमताओं पर अध्ययन, विश्लेषण तथा रिपोर्ट करना शामिल थाः

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षमताओं का आंकलन;
- बेलिस्टिक मिसाईलों पर एन आई ए एस के कार्य की अपडेटिंग तथा समेकन;
- नाभिकीय हथियार तथा राष्ट्रीय सुरक्षा में उनकी भूमिका;
- सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सैटेलाइट तस्वीरों तथा अन्य डेटा का उपयोग करके सेन्सिटिव इंस्टालेशन्स की पहचान तथा आंकलन; तथा
- सुरक्षा तथा युद्ध-कूटनीति से संबंधित विषयों पर संवाद तथा चर्चाओं की व्यवस्था करना।

नवम्बर 2013 में की गई लेखापरीक्षा जाँच से निम्नलिखित प्रकट हुआः

- रक्षा अनुदान सहायता योजना वैज्ञानिक महत्व तथा अधिमानतः रक्षा हित के क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्य हेतु आरम्भ की गई थी। तथापि, उपरोक्त विषयों पर अध्ययन के लिए परियोजना का रक्षा अनुदान सहायता योजना के तहत संस्वीकृत किया जाना न्याय संगत नहीं था।
- अध्ययन परियोजना का संस्वीकृत किया जाना डी ई आर एण्ड आई पी आर के अधिदेश में नहीं आता है।

डी आर डी ओ ने उत्तर में बताया कि ये परियोजनाएं जो वर्तमान में उपलब्ध तथा शत्रुओं द्वारा प्राप्त की जा रही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को समझने में सहायता करती हैं देश की सुरक्षा की बाबत कूटनीतिक महत्व की हैं।

उत्तर मान्य नहीं है क्योकिं इंस्टिट्यूट ऑफ डिफेन्स स्टडीज एण्ड एनालिसिस (आई डी एस ए), रक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत निकाय, रक्षा तथा सुरक्षा के सभी पहलुओं पर अनुसंधान तथा नीति प्रासंगिक अध्ययनों के प्रति समर्पित है। आगे, रक्षा अनुदान सहायता योजना का उद्देश्य वैज्ञानिक महत्व के अनुसंधान एवं विकास कार्य करने हेतु देश में उपलब्ध अनुसंधान प्रतिभा का उपयोग करना है तथा इसलिए अभिरूचि के सामान्य क्षेत्रों से संबंधित कार्य निष्पादित करना डी ई आर एण्ड आई पी आर के अधिदेश में नहीं आता है।

मामला - IV: डी आर डी ओ चेयर्स तथा डी आर डी ओ फेलोशिप्स का सृजन

रक्षा अनुदान सहायता योजना के नियमों में चेयर्स तथा फेलोज का सृजन किए जाने तथा रक्षा अनुदान सहायता में से भुगतान करने का प्रावधान नहीं है। तथापि, डी आर डी ओ ने इसकी अवहेलना में डी आर डी ओ के पूर्व वैज्ञानिकों के नाम से चेयर्स तथा फेलोज सृजित किए।

मामला 'क'

अगस्त 2007 में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा मंत्री के पूर्व वैज्ञानिक सलाहकारों के नामों से प्रत्येक हेतु तीन वर्ष की अवधि तथा डी आर डी ओ चेयर के प्रति मानदेय पर प्रतिवर्ष ₹ 20.46 लाख के अनुमानित व्यय आशुलिपिक सहायता रिसर्च फेलोज को भुगतान,यात्रा सहायता, उपभोग्य सामान की लागत,

इत्यादि के साथ, जिसे आगे नवम्बर 2010 में योजना के संबंधित शीर्ष[114] के तहत बुक किए जाने हेतु संशोधित करके ₹ 27.69 लाख प्रति वर्ष कर दिया गया, चार चेयर्स[115] के सृजन की संस्वीकृति दी। तत्पश्चात्, डी आर डी ओ ने **परिशिष्ट- VIII** मे दिए गए विवरण के अनुसार डी आर डी ओ प्रयोगशालाओं/ स्थापनाओं में इन चेयर्स में से तीन को क्रियाशील बनाया।

आगे, मई 2012 में रक्षा मंत्रालय ने क्रमशः ₹ 80,000/-,₹ 75,000/- तथा ₹ 65,000/- प्रतिमाह के मानदेय पर, 10 चेयर्स[116] 20 डॉ.राजा रमन्ना डी आर डी ओ डिस्टिंग्विस्ड फैलोज तथा 30 डी आर डी ओ फेलोज का सृजन संस्वीकृत किया। व्यय को मुख्य शीर्ष 2080-रक्षा सेवाएं-अनुसंधान एवं विकास, लघु शीर्ष-110-स्टोर्स में डेबिट किया जाना था।

नवम्बर 2013 में की गई लेखापरीक्षा जाँच में नीचे उल्लिखित अनियमितताएं उजागर हुईं :

- चेयर्स तथा फेलोशिप्स संस्वीकृत करना रक्षा अनुदान सहायता के दायरे में नही आता था।
- जैसाकि **परिशिष्ट -VIII** में दर्शाया गया है,गैर-लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे तथा निधियों पर अर्जित ब्याज को लेखों में न दर्शाना जैसी अनियमितताएं थीं।

डी आर डी ओ ने सितम्बर 2014 में अपने उत्तर में बताया कि चेयर पर नियुक्त होने वाले व्यक्तियों को डी आर डी ओ तथा इसके कार्यक्रमों से परिचित होना वांछित है। इस प्रकार उनके गहन वैज्ञानिक ज्ञान तथा अनुभव से लाभ उठाने के उद्देश्य से की गई चेयर नियुक्तियाँ प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को मान्यता प्रदान करना होता है। डी आर डी ओ ने आगे बताया कि उन्होने चेयर्स को स्टोर्स (राजस्व) शीर्ष के अन्तर्गत निधियाँ उपलब्ध कराके उपचारात्मक कार्रवाई की थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योकि लघु शीर्ष 110 (स्टोर) के अन्तर्गत सभी स्टोर्स पर व्यय उन सभी कार्यकलापों से जुड़े हो जो परियोजनाओं, कार्यक्रमों, योजनाओं, वर्तमान मूलभूत सुविधाओं के रख-रखाव, तकनीकी साहित्य, सर्विसेज द्वारा प्रदत्त स्टोर्स, आयुध फैक्टरियों तथा सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। तथापि, चेयर्स पर किए गए व्यय में डी आर डी ओ चेयर हेतु मानदेय, आशुलिपिक सहायता,रिसर्च फेलोज को भुगतान, यात्रा सहायता,उपभोग्य सामान की लागत, इत्यादि शामिल होता है। चेयर्स के सृजन पर हुए व्यय का ठीक तरह से लेखांकन नहीं हुआ था तथा इस प्रकार यह अनियमित था।

मामला-'ख'

डी आर डी ओ ने योजना के तहत अप्रैल 2005 तथा मई 2005 में प्रोफेसर श्रीनिवास संपथ चेयर के सृजन के प्रति आई आई टी कानपुर को एक 'आऊटराईट वन टाईम ग्रांट' के रूप में ₹ 3.00 लाख तथा ₹ 2.00 लाख की राशि संस्वीकृत की।

---

[114]मुख्य शीर्ष 2080 रक्षा सेवाएं-अनुसंधान एवं विकास,लघु शीर्ष 004 अनुसंधान/अनुसंधान एवं विकास उपशीर्ष (सी) एक्स्ट्राम्यूरल रिसर्च (अनुदान सहायता शीर्ष)

[115] पदमविभूषण डा.डी एस कोठारी (1 चेयर) (ख) प्रोफेसर एस भगवानथम (1चेयर) (ग) डॉ.बी डी नागचौधरी (1चेयर) (घ) पदमभूषण प्रोफेसर एम जी के मेनन (1चेयर)

पदमविभूषण डा.डी एस कोठारी (1 चेयर) (ख) प्रोफेसर एस भगवानथम (1चेयर) (ग) डॉ.बी डी नागचौधरी (1चेयर) (घ) पदमभूषण प्रोफेसर एम जी के मेनन (1चेयर)

[116] पदमविभूषण डा.डी एस कोठारी (3 चेयर) (ख) प्रोफेसर एस भगवानथम (3 चेयर) (ग) डॉ.बी डी नागचौधरी (3 चेयर) (घ) पदमभूषण प्रोफेसर एम जी के मेनन (1चेयर)

नवम्बर 2013 में की गई लेखापरीक्षा जाँच में उजागर हुआ कि उपरोक्त भुगतान अनुदान सहायता योजना, जिसमें मूल सुविधाओं अथवा जी आई के सदस्यों को बिना काम या परियोजना के दिए जाने वाले व्यक्तिगत भुगतानों हेतु अनुदान कवर नहीं होते हैं, के अन्तर्गत प्राधिकृत नहीं थे।

उत्तर में डी आर डी ओ ने बताया (दिसंबर 2013) कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई बातों को नोट कर लिया गया है तथा मामलों को निपटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

इस प्रकार, डी आर डी ओ ने लेखापरीक्षा के तर्क को माना कि आई आई टी कानपुर में सृजित की गई चेयर को दिया गया अनुदान अनियमित था।

निष्कर्ष

1969 में, योजना को देशी रूप से, अधिमानतः रक्षा की अभिरूचि के क्षेत्रों में, उपलब्ध अनुसंधान प्रतिभा को उपयोग में लाने के उद्देश्य से आरम्भ किया गया था। चारों आर बीज़ तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर का योजना का वार्षिक बजट 2007-08 में ₹ 54.50 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 86.67 करोड़ हो गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि योजना के प्रबंधन में अनुचित बजट निरूपण प्रक्रिया, फलीभूत होने योग्य तथा विशिष्ट अनुसंधान उद्देश्यों पर पहुँचे तथा परिव्यय के प्रति प्राप्त किए जाने हेतु परिमाणित तथा गुणवत्तात्मक लक्ष्य परिभाषित किए बिना परियोजना सौपंना, योजना का प्रचार इस तरह से न करना जिससे कि सभी रूचि रखने वाली पार्टियों से पर्याप्त प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके तथा कोई प्रमाण न होना जिससे इंगित हो कि ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त सभी प्रस्तावों पर विधिवत् विचार तथा उनका मूल्यांकन किया गया था ताकि स्पर्धा का न्यायसंगत होना तथा सर्वोत्तम सम्भावित प्रस्तावों का चयन होना सुनिश्चित किया जा सके। परियोजना समापन प्रतिवेदन, जिनमें प्राप्त किए गए उद्देश्यों पर महत्वपूर्ण सूचना शामिल होती है, डी आर डी ओ द्वारा अधिकांश मामलों में नहीं मांगे जा रहे थे। डी आर डी ओ ने इसे विवेकपूर्ण नहीं समझा कि अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों से कहा जाए कि वे इसकी अनुदान सहायता योजना के तहत दिए गए सभी अनुदानों को आवश्यक रूप से बचत बैंक खाते में जमा करें तथा खर्च न हुई शेष राशियों की वापसी का उचित रूप से हिसाब-किताब रखें, इस प्रकार सरकार को ऐसे लाभों की प्राप्ति से वंचित रखा गया। डी आर डी ओ की संपत्ति होने के बावजूद उपकरणों के निपटान को एक बड़ी मात्रा तक,अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों की, जैसा भी वे चाहें, स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया। लेखापरीक्षा द्वारा इन सभी मामलों पर संस्तुतियाँ दी गईं हैं।

उपरोक्त बातों के मद्देनजर योजना संतुष्टि से परे है तथा इसकी मंत्रालय स्तर पर पुनरीक्षा किया जाना आवश्यक है।